

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14082025-265447
SG-DL-E-14082025-265447असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2025/श्रावण 23, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 183
No. 242]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2025/SHRAVANA 23, 1947	[N. C. T. D. No. 183

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

फा. सं. 14(100)/LA/2025/jtsecylaw/609-618.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 13 August, 2025 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025
(2025 का दिल्ली अधिनियम 04)

(08th August, 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)
{ 14 August, 2025 }

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्यालयों द्वारा शुल्क निर्धारण, विनियमन और संग्रहण के मामले में पारदर्शिता लाने तथा उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए तथा दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के उपबंधों को अनुपूरित करने हेतु एक अधिनियम

जबकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि शिक्षा के व्यावसायीकरण और शैक्षिक संस्थानों द्वारा मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए;

और जबकि सरकार का अभीष्ट है कि शैक्षिक संस्थानों द्वारा मुनाफाखोरी के माध्यम से शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जाएं;

और जबकि शिक्षा के व्यावसायीकरण पर प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शैक्षिक संस्थानों द्वारा शुल्क के निर्धारण और संग्रहण को विनियमित करना तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना लोकहित में समीचीन है;

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में दिल्ली विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.**— (1) इस अधिनियम को दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 कहा जाए।
- (2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
- (3) यह उस तिथि को लागू होगा जिसे सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।
2. **परिभाषाएँ .**— (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (1) “शैक्षणिक वर्ष” का अभिप्राय समुचित प्राधिकारी या, जैसा भी मामला हो, किसी बोर्ड या परिषद् जिससे संबंधित विद्यालय संबद्ध है, द्वारा विनिर्दिष्ट वर्ष से है;
 - (2) “पीड़ित अभिभावकों के समूह” का अभिप्राय छात्रों के अभिभावकों के किसी ऐसे समूह से है, जो प्रभावित कक्षा या विद्यालय के छात्रों के कुल अभिभावकों के 15 प्रतिशत से कम नहीं है, जैसा भी मामला हो, जो अधिनियम के अन्तर्गत किसी निर्णय से व्यथित हैं;
 - (3) “बोर्ड” का अभिप्राय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (आईसीएसई), अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (आईबी), अंतर्राष्ट्रीय सामान्य माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईजीएसई) या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य बोर्ड से है।
 - (4) “जिला” का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा जिलों से है, जैसा कि शिक्षा निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है;
 - (5) “जिला शुल्क अपीलीय समिति” का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत गठित जिला अपीलीय शुल्क समिति से है।
 - (6) “शुल्क” का अभिप्राय किसी भी राशि से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अध्ययन के दौरान विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र की जाती है, जो धारा 5 के अनुसार निर्धारित की जाती है और इसमें, जहां भी लागू हो, निम्नलिखित शामिल हैं:-
 - (i) आवश्यक पाठ्यक्रम सहित ट्यूशन फीस;
 - (ii) सत्र शुल्क, जो प्रति सत्र एक माह की ट्यूशन फीस से अधिक नहीं होगा;
 - (iii) पुस्तकालय शुल्क;
 - (iv) प्रयोगशाला शुल्क;
 - (v) सतर्कता धनराशि;

स्पष्टीकरण.— “सतर्कता धनराशि का अभिप्राय प्रयोगशाला उपकरणों के प्रबंधन या क्षति के प्रयोजनों के लिए जमा की गई धनराशि, पुस्तकालय प्रतिभूति, खेल उपकरणों के लिए तथा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए जमा की गई धनराशि से है;

- (vi) परीक्षा शुल्क;
- (vii) छात्रावास शुल्क और भोजनालय प्रभार;
- (viii) शारीरिक शिक्षा शुल्क;
- (ix) विकास शुल्क;

स्पष्टीकरण.— जहां छात्र को ऐसे स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, जिसमें दसवीं कक्षा या उससे नीचे की किसी कक्षा तक शिक्षा लेने की सुविधा है, वहां छात्र को पुनः शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी;

- (x) प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि या किसी पाठ्यचर्या या सह-पाठ्यचर्या मद हेतु देय राशि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- (7) “सरकार” का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 239कक के अधीन इस रूप में मनोनीत किया गया है;
- (8) किसी विद्यालय के संबंध में, “प्रबंधन” का अभिप्राय प्रबंध समिति से है तथा इसमें ऐसे व्यक्तियों का निकाय भी शामिल है जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय का प्रबंधन सौंपा जाता है।
- (9) “अभिभावक-शिक्षक संघ” का अभिप्राय दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित अभिभावक-शिक्षक संघ से है।
- (10) “यथा विनिर्धारित” का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों या शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत विनिर्धारित से है।
- (11) “संशोधन समिति” का अभिप्राय धारा 9 के अंतर्गत गठित संशोधन समिति से है।
- (12) “नियम” का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम से हैं।
- (13) “विद्यालय” का अभिप्राय तथा इसमें शामिल हैं, निजी गैर-सहायता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त हो या किसी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित हो या किसी भारतीय या विदेशी पाठ्यक्रम या बोर्ड से संबद्ध हो, जिसमें यथा लागू अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय और सरकारी एजेंसियों द्वारा रियायती दरों पर विद्यालयों को दी गई भूमि भी शामिल हैं।
- (14) “विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति” का अभिप्राय धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत गठित समिति से है।
- (15) इसमें प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं तथा दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उक्त अधिनियम और नियमों में उन्हें निर्दिष्ट है।

अध्याय-II

अतिरिक्त शुल्क वसूली पर प्रतिबंध

और शुल्क का निर्धारण

3. **अतिरिक्त शुल्क की वसूली पर प्रतिबंध.**— कोई भी विद्यालय स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी अन्य माध्यम के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत नियत या अनुमोदित शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली नहीं करेगा।
4. **विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति:**— (1) (क) प्रत्येक विद्यालय निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन करेगा।
- (ख) प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए 15 जुलाई से पहले विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति का गठन करना होगा। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:—

1	अध्यक्ष	विद्यालय प्रबंधन द्वारा नामित प्रबंधन का प्रतिनिधि;
2	सचिव	विद्यालय का प्रधानाचार्य;
3	सदस्य	लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से चयनित किये जाने वाले विद्यालय के तीन शिक्षक
4	सदस्य	लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से चयनित किए जाने वाले अभिभावक-शिक्षक संघ से पांच अभिभावक
5	पर्यवेक्षक	शिक्षा निदेशक का नामित व्यक्ति

- (2) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के गठन से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तत्पश्चात, ऐसी सूची की एक प्रति शिक्षा निदेशक द्वारा संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को सात कार्य दिवसों के भीतर प्रेषित की जाएगी।
- (3) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों से संबंधित कम से कम एक सदस्य शामिल होगा, जिसे यथा निर्धारित तरीके से रोटेशन द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- बशर्ते कि समिति के कम से कम दो सदस्य महिलाएं होंगी।
- (4) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति का कार्यकाल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगा।
- (5) कोई भी अभिभावक सदस्य निरंतर दो वर्षों से अधिक समय के लिए विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के चुनाव हेतु लॉटरी ड्रॉ में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (6) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति की सदस्यता के निरंतर दो वर्षों की समाप्ति पर, अभिभावक सदस्य को उसके बाद दो वर्षों की अवधि के लिए लॉटरी ड्रॉ में भाग लेने के लिए अयोग्य माना जाएगा।
- (7) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति की प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से पूर्व कम से कम एक बार आम बैठक होगी।
- (8) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे निर्दिष्ट किए जाएं या विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (9) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के गठन हेतु लॉटरी ड्रॉ का आयोजन निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
- (10) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति को शेष अवधि के लिए, जैसा कि विहित किया जाए, भरा जाएगा।

5. **विद्यालयों में शुल्क का विनियमन :-** (1) विद्यालय का प्रबन्धन ऐसे विद्यालय में शुल्क प्रस्तावित करने के लिए सक्षम होगा।

बशर्ते, ऐसे किसी विद्यालय को, जिसकी मान्यता निलम्बित कर दी गई है या वापस ले ली गई है, इस अधिनियम के अंतर्गत तब तक कोई शुल्क प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि मान्यता का ऐसा निलम्बन या वापस लिया जाना निरस्त नहीं कर दिया जाता।

आगे ये भी उपबंधित है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु, दिनांक 01.04.2025 से विद्यालयों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित शुल्क माना जाएगा।

- (2) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के गठन पर, प्रबंधन अगले ब्लॉक तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रस्तावित शुल्क का विवरण, सुसंगत अभिलेखों के साथ, चालू शैक्षणिक वर्ष की 31 जुलाई तक विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।
- (3) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के पास अपना अनुमोदन देते समय शुल्क की राशि नये सिरे से तय करने का अधिकार होगा, तथापि जो प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क से अधिक नहीं होगा।
- (4) धारा 8 के अंतर्गत निर्धारित सभी सुसंगत कारकों पर विचार करने के पश्चात्, विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति अपने सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति के आधार पर, प्रस्तावित शुल्क के विवरण तथा उपधारा (2) के अंतर्गत अभिलेख प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर शुल्क को अनुमोदित करेगा तथा लिखित रूप में इस प्रकार के अनुमोदित शुल्क के विवरण को प्रबंधन को तत्काल सूचित करेगा। विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति द्वारा ऐसे अनुमोदित शुल्क का विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा विद्यालय की संबंधित भाषा माध्यम में प्रदर्शित किया जाएगा तथा यदि ऐसे विद्यालय की स्वयं अपनी वेबसाइट है तो उसे उस पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- (5) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क विद्यालय पर तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- (6) विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति विभिन्न शीर्षों को इंगित करेगी जिनके अंतर्गत शुल्क को लगाया जाएगा।
- (7) यदि विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति चालू शैक्षणिक वर्ष की 15 सितम्बर तक शुल्क तय करने में विफल रहती है, तो प्रबंधन तत्काल, लेकिन 30 सितम्बर के बाद नहीं, मामले को जिला शुल्क अपीलीय समिति को उसके निर्णय के लिए भेजेगा तथा विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति को ऐसी विधि से सूचित करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। जिला शुल्क अपीलीय समिति के समक्ष संदर्भ के लंबित रहने के दौरान, प्रबंधन पिछले शैक्षणिक वर्ष का शुल्क वसूल करेगा।
- (8) व्यथित अभिभावकों का समूह, विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर, जिला शुल्क अपीलीय समिति को, ऐसे प्रपत्र में, जैसा विनिर्धारित किया जाए, अपील कर सकेगा।
- (9) किसी नए विद्यालय की स्थापना के मामले में, प्रबंधन, शुल्क का प्रस्ताव और निर्धारण कर सकता है, तथापि, ऐसे शुल्क को ऐसे विद्यालय की विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति द्वारा, उसके गठन के 30 दिन के भीतर अभिपुष्टि किया जाना अपेक्षित होगा।

6. **जिला शुल्क अपीलीय समिति का गठन:-**

जिला शुल्क अपीलीय समिति का गठन शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् -

(1)	अध्यक्ष	संबंधित जिले के उप-निदेशक शिक्षा
(2)	सदस्य सचिव	उप-निदेशक शिक्षा (क्षेत्र)
(3)	सदस्य	चार्टर्ड एकाउंटेंट
(4)	सदस्य	क्षेत्र/जिला के लेखा पदाधिकारी

(5)	सदस्य	स्कूलों के दो प्रतिनिधि
(6)	सदस्य	अभिभावकों के दो प्रतिनिधि

7. **जिला शुल्क अपीलीय समितियों की शक्तियां एवं कार्य** – (1) जिला शुल्क अपीलीय समिति की शक्तियां एवं कार्य विद्यालय प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में पीड़ित अभिभावक समूह या प्रबंधन अथवा अभिभावक शिक्षक संघ के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करना होगा।
- (2) जिला शुल्क अपीलीय समिति के समक्ष अपील करने वाला प्रत्येक विद्यालय अपील के निर्णय की प्रति अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर डालेगा।
- (3) जिला शुल्क अपीलीय समिति किसी राजपत्रित अधिकारी को किसी विद्यालय या ऐसे विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित किसी परिसर में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।
- (4) जिला शुल्क अपीलीय समिति अपने कार्यों के निर्वहन हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जांच के प्रयोजनार्थ अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी तथा इसे निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—
- (क) किसी साक्षी को बुलाना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;
- (ख) किसी दस्तावेज की खोज तथा प्रस्तुतीकरण;
- (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) साक्षी की जांच हेतु आदेश जारी करना;
- (5) जिला शुल्क अपीलीय समिति द्वारा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
- (6) जिला शुल्क अपीलीय समिति का आदेश उसके समक्ष कार्यवाही के पक्षकारों पर तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- (7) जिला शुल्क अपीलीय समिति, शुल्क निर्धारण के संबंध में अपना निर्णय अपील प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर संबंधित पक्षों को संसूचित करेगी, तथा उसी शैक्षणिक वर्ष में पैंतालीस दिन से अधिक नहीं हो, अन्यथा मामला स्वतः ही इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट संशोधन समिति को निर्दिष्ट हो जाएगा।
- (8) जिला शुल्क अपीलीय समिति विभिन्न शीर्षों को दर्शाएगी जिनके अंतर्गत शुल्क लगाया जाएगा।
- (9) जिला शुल्क अपीलीय समिति के निर्णय से पीड़ित अभिभावक समूह या प्रबंधन अथवा अभिभावक शिक्षक संघ, ऐसे निर्णय की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्धारित रीति के अनुसार संशोधन समिति के समक्ष अपील कर सकेगा।
8. **शुल्क निर्धारण के कारक** – किसी विद्यालय द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्णय करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :—
- (क) विद्यालय का स्थान;
- (ख) गुणात्मक शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई अवसंरचना, प्रदत्त सुविधाएं तथा विद्यालय की विवरणिका या वेबसाइट में उल्लिखित सुविधाएं;
- (ग) विद्यालय का शिक्षा स्तर;
- (घ) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय;
- (ङ) गैर-निवासी भारतीयों सहित किसी भी व्यक्ति से, किसी भी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दान, अंशदान के रूप में प्राप्त अतिरिक्त निधि;
- (च) मानदंडों के अनुसार योग्य शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ तथा उनके वेतन घटक;
- (छ) वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु उचित राशि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

- (ज) विद्यालय की कुल आय का विद्यार्थियों पर किया गया व्यय;
 (झ) निर्धारित प्रयोजनार्थ उचित राजस्व अधिशेष;
 (ञ) कोई अन्य कारक जो निर्धारित किया जा सकता है।

9. **संशोधन समिति** — (1) सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक संशोधन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

(1)	अध्यक्ष	शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति
(2)	सदस्य	चार्टर्ड एकाउंटेंट
(3)	सदस्य	लेखा नियंत्रक/उप-लेखा नियंत्रक
(4)	सदस्य	विद्यालयों के प्रतिनिधि
(5)	सदस्य	अभिभावकों का प्रतिनिधि
(6)	पदेन सदस्य— सचिव	अपर शिक्षा निदेशक

(2) संशोधन समिति का कार्यकाल, चयन प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, पारिश्रमिक, गणपूर्ति और संबंधित मामले इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथा निर्धारित किए जाएंगे।

10. **जिला शुल्क अपीलीय समितियों के कुछ प्रावधानों का संशोधन समिति पर लागू होना** :—

- (1) धारा 7 की उपधारा (3) से (8) के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित संशोधन समिति पर लागू होंगे।
 (2) संशोधन समिति का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा तथा तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए पक्षों पर बाध्यकारी होगा। उक्त अवधि के अंत पर विद्यालय धारा 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपनी शुल्क संरचना में परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है।
 (3) संशोधन समिति ऐसी अपील की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर शुल्क निर्धारित करने का प्रयास करेगी तथा अपने निर्णय से संबंधित पक्षकारों तथा शिक्षा निदेशक को संसूचित करेगी।

11. **शिक्षा निदेशक की विशेष शक्तियां** — इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षा निदेशक, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति, जिला शुल्क अपीलीय समिति या संशोधन समिति के अभिलेख (अभिलेखों) को मंगाकर यह सत्यापित कर सकता है कि उक्त समिति (समितियों) की कार्यवाही इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है तथा उचित और उपयुक्त समझे जाने पर यथोचित निर्देश जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यथोचित मामलों में शिक्षा निदेशक किसी भी मामले को जिला शुल्क अपीलीय समिति या संशोधन समिति को संदर्भित कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय—III

अर्थदंड

12. **अर्थदंड** — इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित अर्थदंड और परिणाम होंगे :—

- (1) जहां कोई विद्यालय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क वसूलता नहीं पाया जाता है, वहां शिक्षा निदेशक विद्यालय को तत्काल प्रभाव से ऐसे शुल्क वापस लेने और विद्यार्थी (विद्यार्थियों) को 20 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर या उससे पहले अतिरिक्त शुल्क वापस करने का निर्देश देगा।
 (2) शुल्क वापसी और वापसी के आदेश के अतिरिक्त, विद्यालय पर निम्नलिखित अर्थदंड भी लगाए जाएंगे:—
 (क) प्रथम उल्लंघन हेतु अर्थदंड, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, जिसे कि पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है;

(ख) दूसरे या उसके बाद के उल्लंघन के लिए जुर्माना दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, जिसे कि दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

यह भी उपबंधित है कि जहां विद्यालय उपधारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शुल्क वापस लेने तथा बीस दिन के भीतर शुल्क वापसी के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो विद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने की दोगुनी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो राशि चालीस दिनों तक निर्देशों का अनुपालन न होने पर तिगुनी हो जाएगी, साठ दिनों तक निर्देशों का अनुपालन न होने पर चौगुनी हो जाएगी तथा इसी प्रकार आगे भी।

(3) किसी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन किए जाने की स्थिति में तथा जब तक ऐसे सभी उल्लंघनों का समुचित रूप से सम्बोधित नहीं कर लिया जाए तथा उनका संतोषप्रद समाधान नहीं कर लिया जाए, शिक्षा निदेशक, पूर्वोक्त अर्थदंडों के अतिरिक्त :-

(क) आदेश द्वारा, विद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु उत्तरदायी तथा प्रभारी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, प्रबंधन या विद्यालय में कोई आधिकारिक पद धारण करने से वंचित कर सकेगा;

(ख) आदेश द्वारा ऐसे प्रबंधन के आगामी वर्षों हेतु शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकेगा;

(ग) ऐसे विद्यालय की मान्यता निलंबित करने का आदेश दे सकेगा;

(घ) ऐसे विद्यालय की मान्यता वापस लेने का आदेश दे सकेगा;

(ङ) ऐसे विद्यालय का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश दे सकेगा।

(4) शिक्षा निदेशक द्वारा किसी विद्यालय के प्रबंधन को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई भी शास्ति अधिरोपण आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

13. बलपूर्वक तरीके से शुल्क वसूली पर प्रतिबंध — (1) कोई भी विद्यालय किसी भी विद्यार्थी को शुल्क का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने के लिए परेशान या मजबूर नहीं करेगा, जो कि निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगा :-

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित न की गई शुल्क का भुगतान न करने पर विद्यार्थी का नाम सूची से काट दिया जाना;

(ख) परीक्षा परिणाम रोकना;

(ग) शिक्षा, कक्षाओं या गतिविधियों आदि में भाग लेने से इनकार करना;

(घ) सार्वजनिक अपमान या मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न।

(2) उपरोक्त प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन करने पर शिक्षा निदेशक द्वारा प्रबंधन पर, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रति उल्लंघन 50,000/- रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा।

यह भी उपबंधित है कि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा।

14. जुर्माना आदि की वसूली के तरीके — इस अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अर्थदंडों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ, शिक्षा निदेशक के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 5) के अंतर्गत एक डिक्री के निष्पादन में सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी, जैसाकि अर्थदंड एक सिविल मुकदमे में ऐसे न्यायालय द्वारा पारित धन के भुगतान हेतु एक डिक्री थे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) विद्यालय प्रबंधन की चल या अचल संपत्ति की कुर्की तथा बिक्री;

- (ख) उस संपत्ति को, जिस पर सुरक्षा हित बनाया गया है या विद्यालय प्रबंधन की किसी अन्य संपत्ति को अपने कब्जे में लेना तथा ऐसी संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त करना तथा उसे बेचना;
- (ग) विद्यालय प्रबंधन की चल या अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए रिसीवर की नियुक्ति करना;
- (घ) वसूली का कोई अन्य तरीका, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय IV

विविध

15. **निर्देश जारी करने की शक्ति** — सरकार किसी विद्यालय को इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए या इसमें या इसके अंतर्गत बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी प्रावधान को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।
16. **अप्रत्याशित घटना** — इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, असाधारण परिस्थितियों या आकस्मिक परिस्थितियों में, जैसाकि दैवीय कृत्य, महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध या क्रांति, नागरिक दंगे, बाढ़ आदि, किंतु इन्हीं तक सीमित न होकर; सरकार आदेश द्वारा, विद्यालयों द्वारा विद्यमान विद्यार्थियों और नव प्रवेशित विद्यार्थियों से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु लिए जाने वाले शुल्क को तब तक विनियमित कर सकेगी, जब तक कि पूर्वोक्त परिस्थितियां विद्यमान हों या ऐसा करना जनहित में समीचीन हो।
17. **सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जन** — किसी भी सिविल न्यायालय का ऐसे किसी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा, जिसके संबंध में विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति, जिला शुल्क अपीलीय समिति (समितियां), संशोधन समिति या शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत नियुक्त या निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी अथवा इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त है तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी भी चीज के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा कोई समादेश नहीं दिया जाएगा।
18. **सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण** — इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति, जिला शुल्क अपीलीय समिति (समितियां), संशोधन समिति या शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अंतर्गत नियुक्त या विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
19. **नियम बनाने की शक्ति** — (1) सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) इस धारा के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वे रखे गए हों, या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, विधान-मंडल का सदन ऐसे किसी नियम में कोई परिवर्तन करता है या संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वे ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभावन से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
20. **किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त अधिनियम, न कि उसके लघुकरण में** — इस अधिनियम के प्रावधान दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 18) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) सहित, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अतिरिक्त हैं, न कि उसके लघुकरण में।

21. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** — (1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, अवसर आने पर, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत कोई भी कार्य कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

यह भी उपबंधित है कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की काल अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2025

F. No. 14 (100)/LA/2025/ jtsecylaw/609-618 .—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 13th August, 2025 and is hereby published for general information.

THE DELHI SCHOOL EDUCATION (TRANSPARENCY IN FIXATION AND REGULATION OF FEES) ACT, 2025

(DELHI ACT No. 04 OF 2025)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 08th August, 2025).

[14th August, 2025]

An Act to bring about transparency in the matter of fixation, regulation and collection of fee by schools in the National Capital Territory of Delhi and matters connected therewith and incidental thereto and to supplement the provisions of the Delhi School Education Act, 1973.

WHEREAS the National Policy on Education 2020 envisages that the commercialisation of education and profiteering by the educational institutions should be curbed;

AND WHEREAS the Government desires that steps should be taken to prevent the commercialisation of education through profiteering by the educational institutions;

AND WHEREAS with a view to effectively curb the commercialisation of education, it is expedient in the public interest to regulate fixation and collection of fee by the educational institutions in the National Capital Territory of Delhi and to provide for matters connected therewith and incidental thereto;

BE it enacted by the Legislative Assembly of Delhi in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) This Act may be called the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025.

(2) It extends to the whole of National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**— (1) In this Act, unless the context otherwise requires: -

(1) “academic year” means the year specified by the appropriate authority or, as the case may be, any Board or Council to which respective school is affiliated;

- (2) “aggrieved parents group” means any group of parents of the students, not comprising less than 15 per cent of the total parents of the students of the affected standard or school, as the case may be, who are aggrieved by any decision under the Act;
- (3) “Board” means Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council of Secondary Education (ICSE), International Baccalaureate (IB), International General Certificate of Secondary Education (IGSE), or any other Board notified by the Government from time to time;
- (4) “District” means the education districts of Government of NCT of Delhi as prescribed by Director of Education from time to time;
- (5) “District Fee Appellate Committee” means the District Fee Appellate Committee constituted under Section 6 of this Act;
- (6) “fee” means any amount, by whatever name called, collected directly or indirectly by a school during the course of study, fixed in accordance with section 5 and includes, as applicable, the following:

- (i) tuition fee including curriculum essential;
- (ii) term fee, which shall not exceed one month tuition fee per term;
- (iii) library fee;
- (iv) laboratory fee;
- (v) caution money;

Explanation. — “caution money” means the deposit of money for the purposes of handling or damage of laboratory instruments, library deposit, for sports instruments and other such purposes;

- (vi) examination fee;
- (vii) hostel fee and mess charges;
- (viii) physical education fee;
- (ix) development fees;

Explanation.— Where the student is admitted into the school having the facility to undertake education upto the tenth standard or any standard below it, the student shall not be required to pay the fee once again;

- (x) deposit as security amount or amount payable for any curricular or co- curricular item as may be prescribed.

- (7) “Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;
- (8) “Management”, in relation to a school, means the Managing Committee and includes a body of individuals who are entrusted with management of any recognised private school;
- (9) “Parent-Teachers Association” means the Parent-Teachers Association constituted under Delhi School Education Act, 1973 and Rules made there under;
- (10) “prescribed” means prescribed under the Rules made under this Act or by order issued by the Director of Education;
- (11) “Revision Committee” means the Revision Committee constituted under Section 9;
- (12) “Rules” means the rules made under this Act;
- (13) “School” means and includes a private unaided pre-primary school, primary school, school imparting elementary education, secondary school, higher secondary school, senior secondary school, recognised or unrecognised by the Government or managed by any management or affiliated to any Indian or foreign course or Board, including the schools run by the minority educational institutions and schools given land on concessional rates by Government agencies as applicable;
- (14) “School Level Fee Regulation Committee” means the Committee constituted under clause (b) of subsection (1) of Section 4;
- (15) All words and expressions used herein but not defined in this Act and defined in the Delhi School Education Act, 1973 and Rules made thereunder, have the meanings respectively assigned to them in the said Act and Rules;

Chapter II**PROHIBITION OF COLLECTION OF EXCESS FEE****AND DETERMINATION OF FEE**

3. Prohibition of collection of excess fee.— No school by itself or through any other means on its behalf shall collect any fee in excess of the fee fixed or approved under this Act.

4. School Level Fee Regulation Committee.— (1) (a) Every school shall constitute a Parent-Teachers Association following such guidelines as may be prescribed.

(b) Every school shall constitute, not later than 15th July, a School Level Fee Regulation Committee for each academic year. This Committee shall consist of the following persons: -

(1)	Chairperson	Representative of Management of the school nominated by such Management;
(2)	Secretary	Principal of the school;
(3)	Member	Three teachers of school to be selected through draw of lots
(4)	Member	Five parents from Parent-Teachers Association to be selected through draw of lots
(5)	Observer	Nominee of Director of Education

(2) The list of Chairperson and members of the School Level Fee Regulation Committee shall be displayed on the notice board and website of the school, within a period of seven working days from the formation of the School Level Fee Regulation Committee. Thereafter, a copy of such list shall be forwarded to the concerned officer authorised by the Director of Education, within seven working days.

(3) The School Level Fee Regulation Committee, shall include at least one member belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or socially and educationally backwards classes of citizens, who shall be appointed by rotation in the manner as prescribed.

Provided that not less than two members of the Committee shall be women.

(4) The term of the School Level Fee Regulation Committee shall be for one academic year.

(5) No parent member shall be eligible to enter into a draw of lots for election to the School Level Fee Regulation Committee for more than two consecutive years.

(6) Upon the expiry of two consecutive years of membership to the School Level Fee Regulation Committee, a parent member shall be rendered ineligible to participate in the draw of lots for a period of two years thereafter.

(7) The School Level Fee Regulation Committee shall have a general meeting at least once before the 15th of August of every year.

(8) The School Level Fee Regulation Committee shall discharge such duties and perform such functions as may be assigned to it under this Act or as may be prescribed.

(9) The conduct of draw of lots for constitution of the School Level Fee Regulation Committee shall be as prescribed.

(10) Any casual vacancy in the School Level Fee Regulation Committee shall be filled for the remainder of the term as may be prescribed.

5. Regulation of fees in schools.— (1) The Management of the school shall be competent to propose the fee in such school.

Provided no such school, whose recognition has been suspended or withdrawn, shall have any right to propose any fee under this Act till the time such suspension or withdrawal of recognition has been revoked.

Provided further that for the academic year 2025-26, the fee being charged by schools w.e.f. 01.04.2025 shall be deemed to be proposed fee for the purposes of Section 5 of the Act.

(2) On the formation of the School Level Fee Regulation Committee, the Management shall submit the details of the proposed fee for the next block of three academic years, along with the relevant record to the School Level Fee Regulation Committee, for its approval, by 31st July of the current academic year.

- (3) The School Level Fee Regulation Committee shall have the authority to decide the amount of fee afresh at the time of giving its approval, which shall however, not be more than the fees proposed by the Management.
- (4) After considering all the relevant factors laid down under section 8, the School Level Fee Committee shall, based on unanimous agreement of its members, approve the fee within a period of thirty days from the date of receipt of the details of the proposed fee and the record under sub-section (2) and communicate the details of the fee so approved in writing to the Management forthwith. The details of the fee so approved by the School Level Fee Committee shall be displayed on the notice board of the school in Hindi, English and in the respective medium of school, and if such school has its own website, it shall also be displayed on the same.
- (5) The fee approved by the School Level Fee Regulation Committee shall be binding on the school for three academic years.
- (6) The School Level Fee Regulation Committee shall indicate the different heads under which the fee shall be levied.
- (7) If the School Level Fee Regulation Committee fails to decide the fee by 15th September of the current academic year, the Management shall immediately, but not later than 30th September, refer the matter to the District Fee Appellate Committee for its decision under intimation to the School Level Fee Regulation Committee in such manner as may be prescribed. During the pendency of the reference before the District Fee Appellate Committee, the Management shall collect the fee of the previous academic year.
- (8) An aggrieved parents' group, may within 30 days, prefer an appeal against the decision of the School Level Fee Regulation Committee to the District Fee Appellate Committee, in such form as may be prescribed.
- (9) In case of a school being newly set up, the Management may propose and set the fee, however, such fee shall be required to be ratified by the School Level Fee Regulation Committee of such school within 30 days of the constitution of such School Level Fee Regulation Committee.

6. Constitution of District Fee Appellate Committees.—

The District Fee Appellate Committees shall be constituted by the Director of Education and comprise of the following, namely: -

(1)	Chairperson	Deputy Director of Education of the concerned District
(2)	Member Secretary	Deputy Director of Education (Zone)
(3)	Member	Chartered Accountant
(4)	Member	Accounts functionary of the Region/District
(5)	Member	Two representatives of schools
(6)	Member	Two representatives of parents

7. Powers and functions of District Fee Appellate Committees.— (1) The powers and functions of the District Fee Appellate Committee shall be to adjudicate the dispute between the Aggrieved Parents Group or the Management or the Parents Teachers' Association regarding fee to be charged by the school management.

- (2) Every school preferring an appeal before the District Fee Appellate Committee shall place the copy of decision in appeal on its website and notice board.
- (3) The District Fee Appellate Committees may authorise any gazetted officer to enter any school or any premises belonging to the Management of such school.
- (4) The District Fee Appellate Committee shall regulate their own procedure, for the discharge of their functions, and shall, for the purpose of making any inquiry under this Act, have all powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely: —
 - (a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
 - (b) the discovery and production of any document;
 - (c) the reception of evidence on affidavits;
 - (d) the issue of commission for the examination of the witness;

- (5) No order shall be passed by the District Fee Appellate Committees in the absence of the Chairperson.
- (6) The order of the District Fee Appellate Committee shall be binding on the parties to the proceedings before it for three academic years.
- (7) The District Fee Appellate Committee shall, communicate its decision regarding the fixation of fees to the parties concerned within thirty days of receipt of an appeal and not beyond forty-five days within the same academic year, failing which the matter stands automatically referred to the Revision Committee, as specified in this Act.
- (8) The District Fee Appellate Committee shall indicate the different heads under which the fee shall be levied.
- (9) The Aggrieved Parents Group or the Management or the Parents Teachers' Association aggrieved by the decision of the District Fee Appellate Committee may, within thirty days from the date of such decision, prefer an appeal before the Revision Committee in such manner as may be prescribed.

8. Factors for determination of fee.— The following factors shall be considered while deciding the fee leviable by a school, namely: —

- (a) the location of the school;
- (b) the infrastructure made available to the students for qualitative education, the facilities provided and as mentioned in the prospectus or web-site of the school;
- (c) the education standard of the school;
- (d) the expenditure on administration and maintenance;
- (e) the excess fund generated from any person including non-resident Indians, as a part of charity, contribution by the Government under any of its schemes;
- (f) qualified teaching and non-teaching staff as per the norms and their salary components;
- (g) reasonable amount for yearly salary increments as may be prescribed;
- (h) expenditure incurred on the students over total income of the school;
- (i) reasonable revenue surplus for the purpose as may be prescribed;
- (j) any other factor as may be prescribed.

9. Revision Committee.— (1) The Government shall by notification in the Official Gazette, constitute a Revision Committee, comprising of the following persons: -

(1)	Chairperson	An eminent person having made valuable contribution in the field of education
(2)	Member	Chartered Accountant
(3)	Member	Controller of Accounts/Deputy Controller of Accounts
(4)	Member	Representative of Schools
(5)	Member	Representative of Parents
(6)	Ex-officio Member-Secretary	Additional Director of Education

- (2) The tenure, selection process, functioning, emoluments, quorum, and related matters of the Revision Committee shall be such as prescribed by rules framed under this Act.

10. Application of certain provisions of District Fee Appellate Committees to the Revision Committee.—

- (1) The provisions of sub-sections (3) to (8) of section 7 shall, mutatis mutandis, apply to the Revision Committee.

- (2) The decision of the Revision Committee shall be final and conclusive and shall be binding on the parties for three academic years. At the end of the said period, the school may be at liberty to propose changes in its fee structure by following the procedure as laid down in Section 5.
- (3) The Revision Committee shall endeavour to determine the fee within forty-five days of receipt of such appeal and shall communicate its decision to the parties before it and the Director of Education.

11. Special Powers of the Director of Education.—Notwithstanding anything contained in this Act, the Director of Education may, *suo motu* or otherwise, call for the record(s) of the School Level Fee Regulation Committee, District Fee Appellate Committee or the Revision Committee to verify that the proceedings of the said Committee(s) are in conformity with the provisions of this Act and rules framed there-under and may issue appropriate directions, as deem fit and proper. Further, in appropriate cases the Director of Education may refer any case to the District Fee Appellate Committee or the Revision Committee, as the case may be.

Chapter III

PENALTIES

12. Penalties.—The violations of the provisions of this Act or the rules made there-under, shall attract the following penalties and consequences:-

- (1) Where a school is found to be levying a fee not determined in accordance with the provisions of this Act and rules framed there-under, the Director of Education shall direct the school to roll back such fees with immediate effect and to refund the excess fee to the student(s) within a period of 20 working days or earlier.
- (2) In addition to the order for roll back of fees and refund, the school shall be imposed: -
 - (a) for the first violation, a penalty which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees;
 - (b) for the second or subsequent violation, a penalty which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

Provided that where the school fails to comply with the directions for roll back of fees and refund within twenty days as specified under sub-section (1), the school shall be liable to pay double the amount of fine imposed under sub-section (2), which amount shall become triple if non-compliance extends for forty days, quadruple if non-compliance extends for sixty days and so on.

- (3) In case of repeated violations of the provisions of this Act or the rules made there under by the Management of a school, and until all such violations have been appropriately addressed and satisfactorily resolved, the Director of Education may, in addition to the aforesaid penalties: -
 - (a) by order, debar the person in charge and responsible for the conduct of the affairs of the school from holding any official post in either the management or the school, as the case may be;
 - (b) by order restrict the right of such Management to propose fee increase for subsequent years;
 - (c) order the suspension of recognition of such school;
 - (d) order the withdrawal of recognition of such school;
 - (e) order the taking over of the management of such school.

- (4) No order of imposition of penalty shall be passed by the Director of Education without giving the Management of a school a reasonable opportunity of being heard.

13. Prohibition of Fee recovery through coercive means.—(1) No school shall harass or coerce any student for non-payment or delayed payment of fees by means of but not limited to:-

- (a) Striking down the name of the student from the rolls for non-payment of fees not determined as per the provisions of this Act;
- (b) Withholding examination results;

- (c) Denying access to education, classes, or activities etc;
- (d) Public humiliation or psychological harassment.

(2) Any violation of above provisions shall attract penalty from the Director of Education on the Management of Rs. 50,000/- per violation against every student.

Provided that no such penalty shall be imposed without providing the affected parties a reasonable opportunity of being heard.

14. Modes of recovery of fine, etc.— For the purpose of enforcement of penalties imposed under this Act, the Director of Education shall have all the powers of a Civil Court in the execution of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), as if the penalties were a decree for the payment of money passed by such court in a civil suit, including the following: -

- (a) attachment and sale of the movable or immovable property of the School Management;
- (b) taking possession of property over which security interest is created or any other property of the school management and appointing receiver for such property and to sell the same;
- (c) appointing a receiver for the management of the movable or immovable properties of the School Management;
- (d) any other mode of recovery as may be prescribed by the Government.

Chapter IV

MISCELLANEOUS

15. Power to issue directions.—The Government may issue directions to any school, consistent with the provision of this Act and the rules made there-under, as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act or for giving effect to any of the provisions contained therein or in any rules or orders made there-under.

16. Force Majure.— Notwithstanding anything contained in this Act, in extraordinary conditions or emergent circumstances like, but not limited to Acts of God, Epidemics, Natural Calamities, Wars or Revolutions, Civil Commotions, Floods, etc; the Government may by order, regulate the fees to be charged by the schools, from existing students and newly admitted students for each academic year till such time the aforesaid eventualities exist or expedient in public interest to do so.

17. Jurisdiction of civil courts barred.— No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter in relation to which the School Level Fee Regulation Committee, District Fee Appellate Committee(s), Revision Committee or the Director of Education or any other person authorised by the Director of Education or any other officer appointed or specified by or under this Act, or empowered by or under this Act to exercise any power and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act.

18. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against School Level Fee Regulation Committee, District Fee Appellate Committee(s), Revision Committee or the Director of Education or any other person authorised by the Director of Education or any other officer appointed or specified by or under this Act for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made there-under.

19. Power to make rules— (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the Legislature of National Capital Territory of Delhi, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately following, the House of the

Legislature makes any modification in any such rule or resolves that any such rule should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there-under.

20. Act in addition to and not in derogation of any other Act.— The provisions of this Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force including the Delhi School Education Act, 1973 (Central Act No. 18 of 1973) and The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009).

21. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the Government may as occasion arises, by an order published in the Official Gazette do anything not inconsistent with the provisions of this Act which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be after it is made, before the House of the Legislature of National Capital Territory of Delhi.

REETESH SINGH, Principal Secy.